(कार्या)लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

(रा)जस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 24 / 2020

दायर दिनांक – 14.09.2020

निर्णय दिनांक – 20.10.2021

जीसीएमएस नं0 –2020 / 00056

प्रशासन गाँवों के संग अ... 202

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री कैलाश नाथ पुत्र श्री गोपी नाथ जाति नाथ निवासी नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्राथना–पत्र अन्तगत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री अर्जुन सिंह राठौड़, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खसरा नंबर 1424 / 2143 रकबा 0.10 है0 के वर्तमान नक्शा ट्रेस को वर्किंग नक्शा ट्रेस एवं मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में [illegible] उल्लेख किया है कि वर्तमान आराजी वर्किंग नक्शा ट्रेस (वर्किंग खसरा नंबर 1109 रकबा 0–12–00 बीघा) में सही थी, परंतु भू–संशोधन द्वारा जब वर्तमान नक्शा बनाया गया तब वर्किंग नक्शे के अनुसार नहीं बनाया गया। जबकि प्रार्थी मौके पर आज भी वर्किंग नक्शे के अनुसार ही निरंतर काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:24 IST
Reason: SelfAttested

20.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/2040 दिनांक 05.10.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " प्रार्थी कैलाश नाथ पुत्र गोपीनाथ की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम नांद के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी हाल खाता संख्या 526 के खसरा नंबर 1424/2143 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी 3 में कैलाश नाथ पुत्र गोपीनाथ कुल हिस्सा 29/120 जाति नाथ सा.देह खातेदार व सह खातेदार के रूप में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के हाल ख0नं0 1424/2143 रकबा 0.10 है0 का वर्किंग जमाबंदी अनुसार मिलान खसरा नंबर 110 रकबा 00–12–00 बीघा है। राजस्व ग्राम नांद के वर्तमान राजस्व नक्शा संवत् 2083–84 के हाल खसरा नंबर 1424/2143 व पडौसी खसरा नंबरान के खसरा नंबर 1109 व खसरा नंबर 1424/2143 वर्किंग खसरा नंबर अनुसार मौके पर काबिज है। किंतु उक्त दुरूस्ती से हाल खसरा नंबर 1441 चारागाह किस्म है जो कि प्रभावित है। प्रार्थी के वर्तमान नक्शा वर्किंग नक्शा अनुसार नहीं बना हुआ है जबकि मौके पर वर्किंग खसरा नंबर 1109 अनुसार ही मौके पर काबिज है। **वर्तमान खसरा नंबर 1424/2143 की नक्शा तरमीम वर्किंग खसरा नंबर 1109 के अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।**

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र, इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खसरा नंबर 1424/2143 रकबा 0.10 है0 के वर्तमान नक्शा ट्रेस को वर्किंग नक्शा ट्रेस एवं मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर तरमीम किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

20.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:24 IST
Reason: SelfAttested

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खसरा नंबर 1424/2143 रकबा 0.10 है0 के वर्तमान नक्शा ट्रेस को वर्किंग नक्शा ट्रेस (खसरा न0 1109 रकबा 00–12–00 बीघा एवं संलग्न वर्किंग नक्शा को निर्णय का भाग समझा जावें) एवं मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

20.10.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:24 IST
Reason: SelfAttested